Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

NAAC 'A+ Grade

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक: पूवि.वि./सम्बद्धता/2025/ 251
दिनांक : 24.04.2025

सेवा में,

प्रबन्धक,
हरिवंशी द्वारिका कालेज आफ एजूकेशन,
दुर्खशी, मरदह,ग़ाजीपुर

विषयः—स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 22.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त मा0 कुलपति जी ने **शासनादेश दिनांक–09 मई 2000, 23 अगस्त 2011** एवं **04 दिसम्बर, 2013** के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **05 वर्ष की संविदा** के आधार पर नियुक्ति हेतु **प्राचार्य** पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि **इनके अंक–पत्रों/प्रमाण–पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें।** महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पद
डॉ0 अनिल कुमार	श्री जयगोविन्द मिश्र	08.12.1971	एम0ए0, पी–एच0डी0	प्राचार्य

आधार संख्या–431941856393

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, **नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति प्राचार्य एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड संख्या सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय** तथा प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रुप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन नेट प्रमाण पत्र/पी–एच.डी. प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन किया जाता है।

भवदीय,

कुलसचिव

Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि./सम्बद्धता/03–(तीन)/2015/153
दिनांक : 07-4-15

सेवा में,

प्रबन्धक,
हरिवंशी द्वारिका कालेज,
आफ एजुकेशन, दुर्खुशी मरदह, गाजीपुर।

विषयः– में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत–हिन्दी एवं प्रा0 इतिहास विषयों में प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक–12.11.2013, एवं 10.06.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने **शासनादेश शासनादेश दिनांक–09 मई 2000, 31 दिसम्बर, 2010 व 25 नवम्बर, 2013** के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **पाँच वर्ष की संविदा** के आधार पर **प्रवक्ता** पद पर चयनित निम्नलिखित अभर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि **अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें।** महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/ अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रवक्ता
5	डॉ0 दीप्ति सिंह	श्री दिनेश कुमार सिंह	16.03.1984	एम0ए0, पी0एच0डी0–2009	हिन्दी
6	श्री संजय कुमार विश्वकर्मा	श्री लालमन विश्वकर्मा	10.08.1976	एम0ए0, नेट दिसम्बर–2003	प्रा0 इतिहास

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय साथ ही **AISHE Survey के अन्तर्गत** महाविद्यालय का रजिस्ट्रेशन **अवश्य करा लें।** यदि भौतिक सत्यापन पूर्ण नही तो तीन माह में पूर्ण करा लें।

भवदीय,

कुलसचिव

Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक पु.वि.वि. / सम्बद्धता / 03(तीन) / 2013 / 2701
दिनांक : 22-11-2013

सेवा में,

प्रबन्धक,
हरिवंशी द्वारिका कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
दुर्खुशी, मरदह, गाजीपुर।

विषय :– हरिवंशी द्वारिका कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दुर्खुशी, मरदह, गाजीपुर में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत संस्कृत, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषय में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक–27.08.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने **शासनादेश दिनांक–09 मई, 2000** के आलोक में **3 अथवा 5 वर्ष की संविदा** के आधार पर **प्रवक्ता** पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि **इनके अंक–पत्रों / प्रमाण–पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें।** महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत / अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता का नाम	जन्म–तिथि	शैक्षिक अर्हता	प्रवक्ता
डॉ. शशिकला देवी	श्री दरोगा पटेल	03–01–1980	एम.ए., पी–एच.डी.	संस्कृत
श्री प्रमोद कुमार	श्री योगेन्द्र राम	14–08–1983	एम.ए., नेट	भूगोल
डॉ. दिनेश सिंह	श्री राधेश्याम सिंह	20–03–1977	एम.ए., पी–एच.डी.	शिक्षाशास्त्र
श्री अशोक कुमार सिंह	श्री राज नरायन सिंह	10–02–1977	एम.ए., नेट	समाजशास्त्र
श्री मनोज कुमार विश्वकर्मा	श्री राम अवध विश्वकर्मा	10–05–1977	एम.ए., नेट	राजनीतिशास्त्र

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा **अध्यापकों के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।**

भवदीय,
20/11

कुलसचिव